न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत सं0 03/2021

1. अमरसिंह पुत्र रामसिंह
2. अजीतसिंह पुत्र रामसिंह
3. श्रीमती हीरा पत्नि स्व. रामसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली, ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा जिला दौसा

...निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र गंगाबिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली, ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा जिला दौसा
3. श्री रामकरण शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा जिला दौसा।

..गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका विरूद्ध प्रस्ताव पट्टा देहानी ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा दिनांक 22–1–2021 बसंकल्प संख्या 61 अ. धारा 97 राजस्थान पंचायती अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्तागण सं0 1

निर्णय

दिनांक 10.11.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, सूरजपुरा द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में पट्टा दिनांक 22.1.2021 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकारान ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकारान ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने अन्तिम फैसला प्रस्ताव तिथी विक्रयशुदा भूमि की किस्म का उल्लेख नही है, के संबंध मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 145 राजस्थान पंचायत अधिनियम दिनांक 20–11–2020 ई० को बाद वा आवेदन अप्रार्थी सं0 1 तीन पंचो की नियुक्ति कर पट्टा प्रचलित भूमि का मौका निरीक्षण करवाने व तदानुसार दिनांक 5–12–2020 ई. को पंचायत के मौका निरीक्षण प्रतिवेदन को संदर्भित कर प्रश्नगत संकल्प पारित किया जाना, प्रार्थीगण को बाद प्राप्ति प्रतिवेदन जमाबन्दी मे आया है। प्रश्नगत संकल्प द्वारा प्रदान पट्टे की भूमि ग्राम खेडली मे आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव मे अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 [illegible] षडयंत्र व भ्रष्टाचार पर आधारित प्रश्नगत प्रस्ताव द्वारा अधिनस्थ ग्राम पंचायत [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 21 एयर वाके ग्राम खेडली [illegible] 295.11 वर्गगज का प्रश्नगत पट्टा [illegible] करने का प्रस्ताव अवैध अस्पष्ट अंधिकृत तथा प्रार्थीगण के हि[illegible] के विपरीत प्रार्थीगण [illegible] बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये, अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने पारित कर न्यायालय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना की है। अतः प्रश्नगत आदेश क्षेत्राधिकारविहीन अविधिक आदेश होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:25:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण तत्काल प्रभाव से खण्डनीय है। वस्तु स्थिति को अप्रार्थी संख्या 1 ने छिपाकर एवं अपने अन्य सहयोगीगण अप्रार्थी संख्या 1 के अतिरिक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/2, दीपकसिंह, नरेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा द्वारा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व० रामसिंह पुत्र माधोसिंह गुर्जर निवासी राजाहेडा तन खेडली की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 वाके ग्राम खेडली तहसील दौसा के 12.19 वर्गगज भूमि का कूटरचित इकरारनामा तैयार करने के लिए दिनांक 19–05–2017 को 100 रूपये का स्टाम्प लिखित बताकर उनके द्वारा पूर्व मे केतागण के पक्ष मे मौखिक करार से भूमि विक्रय करने लिखापढी नही करने के बाद इकरारनामा कूटरचित तैयार करने के लिए मुद्रांक खरीदकर दिनांक 19–05–2017 को इकरारनामा स्व० रामसिंह के नाम से टाईप कराकर उनके हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से करवाये गये। साक्षी के रूप मे श्री रामकेश गुर्जर पुत्र श्री बृजमोहन निवासी राजाहेडा तन खेडली तहसील दौसा का नाम अंकित कर उसके फर्जी हस्ताक्षर किये गये। पहचानकर्ता के रूप मे श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री कैलाश गुर्जर ग्राम भांकरोटा तहसील दौसा के हस्ताक्षर करवाये जो अप्रार्थीगण का मिलने वाला शराबी मित्र है। मूल स्टाम्प व संलग्न तीन पाईपेपर पर अंग्रेजी मे आर.एस. अवाना हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से करवाकर कूटरचित अभिलेख तैयार किया गया। इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ ग्राम पंचायत मे भी प्रस्तुत किया गया है, से प्रार्थी संख्या 1 ने चित्र प्रति इकरारनामा प्राप्त की है। इस अभिलेख का पत्रावली मे विवेचन नही किया गया तथा अब इसे पत्रावली से हटा दिया। स्व० रामसिंह सशस्त्र भारतीय सेना मे अधिकारी है, उनके हस्ताक्षर पूर्व में प्रमाणित अभिलेखो पर है। स्व० रामसिंह की मृत्यु दिनांक 11–09–2018 को हुई है। अप्रार्थीगण इकरारगृहितागण ने इस तथ्य को उनकी मृत्यु के समय तक आज दिन तक जाहिर नहीं किया। प्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत की पत्रावली से प्राप्त अभिलेख की चित्र प्रति से तथ्य की जानकारी हुई है। इस प्रकार पट्टागृहितागण ने सुनियोजित षडयंत्र द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को बेईमानी कर हडपने का प्रयास किया है। मानसिंह व सुरेन्द्र कुमार दोनो भाई है तथा दीपक कुमार व नरेश कुमार दोनो खास भाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह प्रचलित करने कि उसने प्रार्थीगण की भूमि मे से पट्टा प्राप्त कर लिया है अब वह भूमि का स्वामी है। प्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत सूरजपुरा मे जानकारी कर पट्टा संबंधी अभिलेख की प्रतिलिपीया प्राप्त करने का आवेदन किया जिस पर दिनांक 4–6–2021 को प्रतिलिपीया प्राप्त हुई, जिन्हे पढकर आश्चर्य हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई पट्टा देहानी की कार्यवाही के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार का खेल किया गया है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव प्रश्नगत पट्टा देहानी एक पक्षीय प्रस्ताव दिनांक 22–1–2021 विधी, प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत क्षेत्राधिकार का असाधारण अतिक्रमण कर अप्रार्थी संख्या 1 से सांठगांठ कर अनाधिकृत रूप से पारित किया है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। पट्टे पर दी गई भूमि दौसा के समीपस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग दौसा आगरा के पास स्थित है। यह भूमि बहुमूल्य भूमि है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टा देहानी संकल्प मे या ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किसी अभिलेख मे यह तथ्य विवेचित नही है कि भूमि जिसका पट्टा देहानी का संकल्प पारित किया गया है ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे स्थित आबादी भूमि है और यदि है तो ग्राम खेडली की मुख्य आबादी मे है या किसी ढाणी मे स्थित है। ग्राम पंचायत मात्र ग्राम मे स्थित आबादी भूमि का ही विक्रय करने व पट्टा प्रचलित करने को अधिकृत है। खातेदारान की खातेदारी मे अंकित गैर मुमकिन आबादी भूमि का पट्टा प्रचलित [illegible] का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को तब तक प्राप्त नही है जब तक भूमि [illegible] आबादी मे रूपान्तरित कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द नही कर दी जावे [illegible] पंचायत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 44 मे से अप्रार्थी संख्या 1 को पुश्तैनी भूमि बताकर ग्रा.पं.नि. 157(1) के प्रावधानानुसार प्रचलित किया है जो सही नही है। कृषि भूमि के पुश्तैनी होने का तथ्य तय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 3 को इस संबंध मे स्पष्टतः जानकारी होना उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:25:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

पदीय दायित्व के अनुसार स्वभाविक है। ग्राम पंचायत ने तथ्य को छिपाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 को अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तेनी बताकर प्रश्नगत पट्टा प्रचलित कर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है अतः प्रश्नगत संकल्प तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायतो द्वारा भूमि विक्रय पट्टा देहानी संबंधी अभिलेख बाजार मे मुद्रित बिकते है। ग्राम पंचायत द्वारा खाली प्रकोष्ठों की पूर्ति कर पट्टा प्रचलित किया जाता हैं। शीर्षक प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रतिलिपी पत्रावली मे उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीगण को उपलब्ध नही करवाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी मानचित्र मे भूमि की माप व सीमा स्थिति अंकित नही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित पट्टा दिनांक 22–1–2021 व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी मानचित्र मे भूमि की भिन्ता दृष्टिगोचर है। ग्राम पंचायत के पंचगण द्वारा ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत अदिनांकित मौका निरीक्षण रिपोर्ट के चरण संख्या 2 मे भूमि को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ढाणी राजाहेडा मे अंकित होना लिखा है जबकि उक्त ढाणी मे ग्राम पंचायत की भूमि है ही नही। महिला सदस्यो ने किस तिथी को किनकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया कोई विवरण अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कार्यालय मे मौका प्रतिवेदन कर महिला पंचगण के हस्ताक्षर करवाये जाना प्रतिवेदन से प्रमाणित है। मौके पर जाकर प्रतिवेदन तैयार नही किया गया। मौके पर कोई माप किया जाना भी प्रमाणित नही है, क्योकि पंचगण मौके पर उपस्थित ही नही हुई। ढाणी में कोई गै0मु0आबादी भूमि गाम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की नहीं है। ग्राम पंचायत मे मानसिंह अप्रार्थी के आवेदन जो प्रिन्टेड फॉर्म है, कार्यालय पटवार मण्डल द्वारा भूमि के किस्म प्रमाण पत्र मे भूमि किस खसरा नम्बर किस ग्राम कितना क्षेत्रफल एवं भूमि की किस्म क्या है और प्रकोष्ठ खाली है। पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नही है। भूमि विक्रय से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित आपत्ति संबंधी सूचना पत्र कब प्रचलित हुआ उक्त सूचना पत्र को कहां किसके सामने चस्पा किया गया। कोई विवरण अंकित नही है। संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से जो तथ्य सामने प्रकट है उससे यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने जिस अप्रार्थी संख्या 2 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मे सभी अभिलेख तैयार किये है जिनके आधार पर प्रचलित प्रश्नगत पट्टा देहानी संकल्प आपसी मिलीभगत से तैयार किया गया है। अतः भूमि विक्रय संबंधी नियमो की पालना नही होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर पैत्रिक भूमि मानी गई है। भूमि खसरा नम्बर 44 मे स्व० रामसिंह की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम तस्दीक होकर प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार भूमि मे अंकित है। प्रार्थीगण या अन्य किसी सहखातेदार को बिना सूचना सुनवाई या सहमति अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलकर प्रश्नगत पट्टा देहानी संकल्प संख्या 6 व उसकी पालना मे पट्टा दिनांक 22–1–2021 को अनाधिकृत या अवैध रूप से पारित किया है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत को प्रश्नगत संकल्प पारित करने व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के भूभाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रचलित करने का अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रश्नगत संकल्प दिनांक 22–1–2021 श्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत पट्टोहानी संख्या 6 दिनांक 22–1–2021 ई० व उसके आधार पर प्रचलित पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त फरमाया जावे।अधिवक्ता निगरानीकारान ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2022(1) राज0 पेज 243, डीएनजे 2024(1) राज0 पेज 275,डीएनजे 2015(2) राज0 पेज 395,डीएनजे [illegible]4(1) राज0 पेज 287 की प्रतियां पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:25:32 IST
Reason: SelfAttested

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस मे [illegible] किया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जो दिनांक 22–1–2021 को पट्टा जारी किया है वह पूर्णतया वैध है जिसको ग्राम पंचायत द्वारा नि[illegible]क प्रकिया अपनाते हुए जारी किया गया है। गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा वैध रजिस्टर्ड पट्टा है जिसे उप पंजीयक दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

द्वारा पंजीबद्ध किया होना स्पष्टतया प्रमाणित है जिसे किसी भी आधार पर चुनौती नही दी जा सकती है ऐसी सूरत में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 44 निगरानीकर्तागण व गैर निगरानीकार संख्या 1 के बजमाने बुजुर्गान के समय से ही पैतृक भूमि रही है एवम गैर निगरानीकार संख्या 1 अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त भूमि खसरा नम्बर 44 में मकान बनाकर निवास करते आ रहे है ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के कब्जे के आधार पर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसमे कोई भी अवैधानिक कार्यवाही नही की गई है।निगरानीकारान ने गैर निगरानीकार संख्या एक को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त निगरानी पेश की गई है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 व गंगाबिशन के वारिसान उक्त भूमि में अपने पैतृक हिस्से के अनुसार बंजमाने बुजुर्गान मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है ऐसी सूरत में निगरानीकर्तागण की निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकर्तागण ने उक्त निगरानी सीधे ही श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 व 61 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध सर्वप्रथम अपील पंचायत समिति के समक्ष की जानी चाहिए थी लेकिन निगरानीकर्तागण ने पंचायत समिति के समक्ष कोई अपील नही की है और सीधे ही श्रीमान के न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को चुनौती दी गई है। गैर निगरानीकार संख्या एक के हक में ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 22–1–2021 जिसे उपपंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 29–1–2021 को पट्टा रजिस्टर्ड किया गया है रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने के संबंध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण की निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट 4994, एआईआर 2016 राजस्थान 95, एसबी सिविल रिट पिटीशन नं0 11329/2018 उनवानी कमला देवी बनाम राज0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.9.2021 की प्रतियां पेश की गई।

5. गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा कृषि भूमि में पट्टा दिये जाने का है। प्रार्थी को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये गाम पंचायत ने निर्णय पारित किया। कूटरचित इकरारनामे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। हमने निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम खेडली का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त भूमि खसरा नंबर 44 रकबा 0.21है. किस्म गै0मु0 आबादी अंकित है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा की मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 20.11.2020 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित की जाकर प्रार्थी की आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। तीन वार्ड पंचों द्वारा भूमि का मौका देखा जाकर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। आपत्ति नोटिस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। जिस पर ग्राम पंचायत सूरजपुरा के द्वारा गैर निगरानीकार [illegible] पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे का उप पंजीयक के द्वारा पंजीयन किया गया है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जारी पट्टा पूर्ण विधिक [illegible] का पालन करते हुए जारी किया गया है, एवं उप पंजीयक दौसा के द्वारा उक्त पट्टे का पंजीयन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:25:32 IST
Reason: SelfAttested

8. जहाँ तक प्रश्न पट्टा कृषि भूमि पर जारी करने के संबंध में है तो प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 44 ग्राम खेडली ग्राम पंचायत सूरजपुरा में पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया। उक्त भूमि

Dr
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की किस्म जमाबंदी में गै0मु0 आबादी खातेदारों के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि की किस्म यह दर्शाती है कि उक्त भूमि का इस्तेमाल खेती /कृषि के रूप में नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त खातेदारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है जिसमें उन्हें भूमि कृषि हेतु राजस्थान सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार के रूप में दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर कृषि भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर उसे जिस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है जैसेकि इस प्रकरण में आबादी हेतु, उसे दर्ज किये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में हालांकि उक्त प्रकिया की पालना नहीं हुई है एवं उक्त भूमि गै0 मु0 आबादी खातेदारों के नाम दर्ज है ना कि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। ऐसे में ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि न होने के कारण ग्राम पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टे दिये जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को पट्टे देने से पूर्व उक्त भूमि को राजस्व विभाग के माध्यम से सबसे पहले संबंधित खातेदारों की खातेदारी अधिकार समाप्त करने का आवेदन एवं इसके उपरांत उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के नाम स्थानान्तरण करने का आवेदन कर उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने के बाद ही पट्टे जारी किये जाने चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है।

9- जहाँ तक प्रश्न उक्त पट्टो के पंजीयन के संबंध में एवं रजिस्टर्ड पट्टों को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश Nagar Mal vs. Additional District Collector Sikar S.B Civil Writ Petition Nos. 11006-11008 of 2012es निर्णित किया है कि

"As far as the argument of the counsel for the petitioners with regard to the issue of the pattas being registered and therefore being beyond the scope of correction by resort to revising power is concerned, I am of the view that the revising power under Sec. 97 of the Act of 1994 cannot be made redundant by the mere registration of pattas unlawfully issued in the first instance to the petitioners as they appear to have been in the present case. Registration of the pattas is only a consequential event and when the pattas are found to have been unlawfully issued contrary to the obtaining rules and even by resort to fraud, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbour. It is trite that fraud vitiates and unravels everything built on it. The cancellation of pattas by the Additional Collector will also thus entail its inexorable conseque-nces in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential."

इस प्रकरण में भी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है एवं वह शून्य है। अतः उसे रजिस्ट्रेशन उपरांत भी खारिज करना रिवीजन की शक्तियों के अंतर्गत आता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा पारित संकल्प सं0 06 दिनांक 22.1.2021 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा सं0 23 दिनांक 22.01.2023 को जारी किया गया है, को शून्य घोषित किया किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:25:32 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 नवंबर 2025 को लिखा जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official